FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

सुन्दे खां उर्फ शोरत अली बनाम नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर .... वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	रिपोर्ट सरिश्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस बनाम रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.05.22 को पेश हो।	
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० की ओर से रीडर नायब तहसीलदार नीमकाथाना उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 2774 रकबा 1.48 हे० में से 0.03 हे० मकान निर्माण कर अतिक्रमि मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 2774 रकबा 0.03 हे० मकान बनाकर अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में [illegible] का नाप भी नहीं लिखा है। [illegible] द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में [illegible] दस्तावेज पेश किये उनका [illegible] नहीं रूप से नहीं किया है। इस प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है।	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। जो निर्माण है वो ग्राम पंचायत के गठन से पूर्व का है। विद्युत कनेक्शन ले रखा है। वहाँ चारो ओर आबादी बस्ती हुई है। वर्ष 2022 में संशोधन विधेयक 23-3-22 में राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया है। जिसमे यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नालों व पानी के बहाव क्षेत्र व मन्दिर माफी की जमीन को छोड़कर अन्य बसी हुई कालोनी व आबादी में 31-12-2021 तक विकसित हो चुकी कालोनियों के पट्टे दिये जा सकेंगे। सुप्रिम कोर्ट की तीन जजो की बैंच ने लिमिटेशन ~~अधिनियम~~ एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजी अचल सम्पति पर लिमिटेशन परिसीमा की वैधानिक अवधि 12 साल है। जबकि सरकारी अचल सम्पति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि में कदीम से जो मकान बनाये हुए है। जिनका दिनांक 28-1-2011 के निर्णय के आदेश अनुसार चारागाह में बसे व्यक्तियो के पट्टे बनाने सम्बधित राज० सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर की गाईड लाईन के अनुसार चारागाह मे बसी आबादी क्षैत्र के आवासीय मकानो को वहा से नहीं हटाकर वहाँ के पट्टे जारी किये जावेगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.3.2022 को अपास्त फरमाया जावें। रेस्पो० द्वारा अपील से सम्बधित मूल पत्रावली पेश कि गई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 C.R. Act की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भूमि ख० न० 27 रकबा 1.48 है किस्म चारागाह मे अपीलान्ट द्वारा 0.03 है० पर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे नोटिस का जवाब	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:32 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत................................मुकाम................................

................................बनाम................................

किस्म मुकदमा................................नम्बर.......22.......वर्ष.......2022.......

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
(अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	व दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली मे शामिल है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नही किया है। रिर्पोट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिर्पोट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें माप नही लिख रखा है। एंव ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है। वो भी नजरी नक्शा में नही है। तथा ना ही चारो तरफ का नाप अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है वो साबित होते है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिर्पोट पेश की गई है जो मौके पर जाकर तैयार नही कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिर्पोट वास्तविक तथ्यो के विपरीत पेश कि गई है। जिसमें अतिक्रमित रकबे की दिशाओ का नाप जोख भी नही लिखा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21-3-22 को जो निर्णय पारित किया गया है। उससे पूर्व समस्त तथ्यो की जांच किये बिना ही किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील में जो तथ्य अंकित किये है उनकी पुष्टि होती है। तथा प्रस्तुत अपील [illegible] अपील को बल मिलता है। [illegible] स्वीकार - अपीलान्ट साबित होने के कारण [illegible] किया जाना उचित [illegible]। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय पारित आदेश दिनांक 21.3.22 अपास्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर ... नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमित रकबे की मौके पर जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमें चारो दिशाओ का सही नाप जोख लिखा जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(अनिल कुमार) (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:32 IST
Reason: SelfAttested